न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण **R.A.S.**

मुकदमा नम्बर :— 01/18 निर्णय दिनांक :— 22/5/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

उनवान

कजोड व अन्य **बनाम** चौथु व अन्य

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि बाल्यावस्था में ही उनके पिता नानगा का देहान्त हो गया, जैसे तैसे बाहर रहाकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे, विगत दिनों में अपीलर्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि पर लोन लेने के उद्वेश्य से जमाबंदी लेने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिसके बाद तहसील कार्यालय जाकर नामान्तकरण की तकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2017 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 22.12.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही अपील अन्दर मियाद पेश है। उक्त कारण अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद लेने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी की क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद पढ़ें जाने की व सुने जाने की कृपा करे। अपील अपीलान्ट वकील के द्वारा दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जाने पर अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलबी की गयी जो प्रत्यर्थीगण की तरफ से दफा 5 के प्रार्थना पत्र जवाब पेश किया गया, जो जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दफा 5 का इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद सं0 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है इस मद में समस्त तथ्य कपोल काल्पनिक एवं मनगढत अंकित किये गये है जिनमें कोई वास्तविकता नहीं है अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायलय को गुमराह करने की नियत से मिथ्या तथ्य दर्ज किये गये है चुकि उक्त भूमि में से रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि का बेचान अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 07.08.2006 के नोल्या पुत्र लालाराम जाति रैगर निवासी किरतपुरा को बेचान कर मौके पर उक्त क्रेता को कब्जा संभला दिया था तथा प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा उक्त भुमि में से अपने 1/3 हिस्से को प्रत्यर्थी सं0 2 को बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था जिसके पश्चात क्रेतागण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है उक्त भूमि को बेचान की जानकारी अपीलान्ट को है तथा उक्त भूमि का बेचान कर कब्जा क्रेतागण को संभला दिये जाने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर लोन लेने के उदेश्य से जमाबन्दी लेने के तथ्य मिथ्या हो जाते है उक्त नामान्तकरण एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रही है यदि अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार की वर्ष 2006 में उक्त भूमि को बेचान कर इकरारनामें निष्पादित किये गये है तथापि इस मद में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण किसी प्रकार से डिले कन्डोन करवाने के अधिकारी नहीं रह जाते है।

प्रार्थना पत्र का मद सं02 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है अपीलान्ट की अपील स्वीकृत रूप से मियाद बाहर है चुकि अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड की जानकारी वर्ष 2006 में निष्पादित इकरारनामो के समय से ही रही है चुकि उक्त इकरारनामे राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही निष्पादित किये गये है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद है मिथ्या हो जाते है तथापि इस मद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वर्णित तथ्य विरोधाभाषी है चुकि अपीलान्ट द्वारा इस मद में जानकारी से अपील को अन्दर मियाद होना अकिंत किया है वहीं दूसरी ओर मद सं0 3 में अपील किये गये है इस प्रकार अपील के मियाद के संबंध में स्वयं अपीलान्ट ही दुविधा में है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 में वर्णित जिस प्रकार अंकित किये गय है गलत होने से अस्वीकार है इस मद में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र में हुई देरी बाबत संतोषजनक कारण एवं दिन–प्रतिदिन हुई देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

विशेष विवरण

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के स्कोप से बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं आधारो पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुई देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थीगण की बदनियती इसी से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुई देरी अर्थात दिनों की संख्या अंकित नही की है अर्थात प्रार्थीगण कितने दिन की देरी को कण्डोन करवाना चाहते है तथा प्रार्थीगण द्वारा डिले को स्पष्ट नही किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लिन हैन्ड से नहीं आये है मिथ्या तथ्य दर्ज कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का असफल प्रयास किया गया है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में डिले को किसी प्रकार से युक्तियुक्त कारण के आधार पर कन्डोन नहीं करवाया जा रहा है इस कारण युक्तियुक्त कारण के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.12.2017 को नकल प्राप्त होना अंकित किया है जिसके पश्चात लगभग 25 दिन पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.12.2017 से दिनांक 16.01.2018 तक अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के सबंधं में प्रार्थना पत्र में संतोषजनक एवं युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है तथा नकल प्राप्त किये जाने के 25 दिन की देरी को किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि अपीलान्ट को दिन–प्रतिदिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है तथापि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील नामान्तकरण दिनांक 08.01.81 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि 37 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति में 37 वर्ष /13,505 दिन की असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई है तथा कानूनन 13,505 दिन की देरी को कानूनन माफ नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से मय हर्जा विशेष खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र दफा 5 का पेश होने पर बहस दफा 5 के प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं 2 की सुनी गयी तो अपीलान्ट वकील ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण की बाल्यावस्था में उनके पिता नानगा का देहान्त हो गया था अप्रार्थी [illegible] रहकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रह थे अप्रार्थीगण [illegible] पर लाने लेने के उद्देश्य से जमाबन्दी लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र 21.12.2017 को पेश किया जो कि दिनांक 22.12.2017 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नकल प्राप्त हुई इस प्रकार अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही अपील अन्दर मयाद पेश की गई उक्त कारण अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील मयाद में लेने की कृपा करे इस बाबत् RRT पेज 98 गणपतलाल बनाम कुवराजसिह की नजीर पेश की गई।

जवाब बहस में अप्राथी वकील ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट ने गलत तथ्य अंकित करते हुये पेश की गयी है क्योकि कृत्य वादग्रस्त भुमि मे से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि का बेचान अपीलान्ट एंव अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये इकरार नामा दिनांक 07.08.2006 को चोथ्या पुत्र लालाराम रेगर नि किरतपुरा को बेचान कर मौके पर कब्जा सम्भलवाया गया। उक्त भूमि की बेचान की जानकारी अपीलान्ट को हुई कृत्य भूमि को बेचान करने थे बाद अपीलान्ट द्वारा कृत्य भूमि पर लाने लेने के उदेश्य से जमाबन्दी लेने का तथ्य गलत हो जाते है, इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रही है क्योकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही वर्ष 2006 में उक्त भूमि का बेचान कर इकरारनामा निस्पादित किया गया है। अपील स्वीकृत रूप से मयाद बाहर है न ही प्रार्थीगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत की गयी उसमें दिनों की सख्या भी अंकित नही की गयी न ही में अंकित किया गया कि कितने दिन की देरी को कन्डोन करवाना चाहता है न ही अपील में हुई डिले के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट नही किया गया प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.12.2017 को नकल प्राप्त करना अंकित किया है जिसके पश्चात 25 दिन बाद अपील प्रस्तुत की गयी है। दिनांक 22.12.. को 16.1.. तक अपील प्रस्तुत नही किये थे सम्बधं में सन्तोषजनक कारण ... देरी को किसी प्रकार स्पष्ट नही किया गया जबकि अपीलान्ट को ... प्रतिदिन की देरी स्पष्ट किया जाना चाहिये। नामान्तरकरण अपील दिनांक 08.01.81 के विरूद्ध प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि...
चाकसू (जय...)

की गयी है। जो 37 वर्ष पश्चात की गयी है जो 13505 दिन की असाधारण देरी से प्रस्तुत की गयी अपील कानूनन माफ नही किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। इस बाबत् RRT पेज 78 दिनांक 16.03.13 कानीदेवी बनाम खेमचन्द DNJ पेज 928 वर्ष 2017 सुबोसहाय बनाम कामकट RRT पेज 14 दिनांक 12.11.13 दशरथ सिह बनाम हजारीसिंह RRT 2007 (2) पेज 940 गोपीनाथ बनाम सालार की नजीरे पेश की गई

पक्षकारान की वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र दफा 5 व जवाब दफा 5 एवम् प्रस्तुत अपील एवम् दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो अपीलान्ट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 143 निर्णय दिनांक 2.1.81 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कादेडा के विरूद्ध मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है जो उक्त नामान्तकरण संख्या 143 का निर्णय दिनांक 08.01.1981 का अवलोकन करने पर ग्राम पचांयत द्वारा 8.1.81 को ही निस्तारण कर दिया गया था। जिसकी अपील 37 वर्ष बाद अपीलार्थी द्वारा से कहते हुए पेश की गयी है कि नामान्तकरण खारीज होने की जानकारी 22.12.17 को कृषि भूमि पर लोन हेतु नकल लेने पर हुयी जबकि रेस्पोदन्ड व अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में सं 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये इकरार नामा द्वारा दिनांक 07.08.2006 को नोल्या पुत्र लालाराम जाति रेगर नि किरतपुरा को बेचान कर मौके पर केता गया को कब्जा सम्भलवाकर गया था अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि मे से अपने 1/3 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर कब्जा सम्भालाया गया था। उक्त बेचान की जानकारी भी अपीलान्ट को है क्योकि अपीलान्ट को रिकार्ड की जानकारी वर्ष 2006 पे निस्तापित इकरारनामें के समय से रही है। क्योकि उक्त इ[illegible] राजस्व रिकोर्ड के अनुसार ही निस्तारित किये गये है। अपीलान्ट [illegible] मे अपील को अन्दर मियाद होना अकिंत किया है दुसरी और अपील के मद संख्या 3 अपील को देरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

और क्षमा कर अन्दर मियाद लेने के तथ्य अकित किये है जो दोनो तथ्य ही विरोधाभाषी है।

दिनांक 22.12.17 को नकल प्राप्त होना अकित किया है उसके 25 दिन पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.12.17 से दिनांक 16.01.18 तक अपील प्रस्तुत नही किये जाने से सबंध से कारण स्पष्ट नही किया तथा नकल प्राप्त करने के 25 दिन भी देरी को किसी प्रकार से स्पष्ट नही किया गया जबकि अपीलान्ट को दिन प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट किया जाना आवश्यक है अपीलान्ट द्वार उक्त अपील नामान्तकरण दिनांक 08.01.81 के विरूद्ध 37 वर्ष यानि 13505 दिन की असाधारण देरी से प्रस्तुत की गयी है कानूनन 13505 दिन की देरी को कानूनन माफ किया जाना उचित नही समझते है। इस बाबत् अप्रार्थी द्वार प्रस्तुत नजीर 2013 (2) RRT पेज 1096 कानीदेवी बनाम रमेशचन्द व अन्य की भली भांति चस्पा होती है जो (परीसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 विलम्ब माफी–अपील दायर करने में 3541 दिवस का विलम्ब अप्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिलाए है। अभिनिधारित धारा 5 अन्तर्गत पर्याप्त हेतु अभिव्यक्ति का अदार अर्थ में प्रयोग करना चाहिये ताकि सारभूत न्याय किया जा सके लेकिन यह सिद्धान्त केवल तभी लागू होता है जब सम्बधिंत पक्षकार पर अपेक्षा या अकर्मण्यता या सदभावना की कमी का आरोप नही हो यदि पक्षकार अपेक्षा अकर्मण्यता तथा गतव्यय का दोषी हो तो ऐसे पक्षकार के पक्ष में न्यायालय में निहित विवेकाधिकार का प्रयोग विलम्ब माफी देने हेतु नही किया जा सकता आरम्भ से ही अपीलार्थी बहुत ही लापरवाही तथा इस तथ्य की जानकारी कराने पश्चात भी अपील दायर करने हेतु कोई कदम नही उठाया तथा दिनांक 18.1.07 तक इन्तजार करते [illegible] वह भी बिना किसी तर्क सगंत स्वीकार्य कारण से आवेदन ए[illegible] अपील भी अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी होने से एव 7.8.06 को भूमि [illegible]चान कर इकरार नामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

लिखा जाकर बेचान शुदा जमीन का कब्जा केता को सम्भलाये जाने की जानकारी होने पर भी अपीलान्ट द्वारा अपील 13505 दिन की देरी से पेश की गयी है जो अपीलान्ट की घोर लापरवाही होने उक्त नजीर के अन्तर्गत क्षमा किये जाने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 का स्वीकार किये जाने योग्य नही होने व उक्त नजीर भली-भातिं चस्पा होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा- 5 खारिज किये जाने योग्य होन से खारिज किया जाना उचित समझते है

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 का लिमीटेशन का खारिज किया जाता है दफा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से अपील मयाद बाहर पेश किये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज कि जाती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दफा 5 व अपील अपीलान्ट खारिज कि जाती है। पत्रावली बाद तकमीज दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
22-5-19

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:12:26 IST
Reason: SelfAttested